

NEXT IAS

दैनिक संपादकीय विश्लेषण

विषय

भारत में संगवाद

www.nextias.com

भारत में संघवाद

सन्दर्भ

- हाल के वर्षों में केन्द्र सरकार और राज्यों के बीच विवादों में वृद्धि हुई है।

भारत में संघवाद

- **अर्थ:**
 - संघवाद का तात्पर्य राजनीतिक व्यवस्था में सत्ता के ऊर्ध्वधर विभाजन से है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सत्ता केंद्रीय प्राधिकरण और अन्य घटकों के बीच विभाजित होती है। उदाहरण के लिए, भारत में राजनीतिक सत्ता केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और स्थानीय शासन की संस्थाओं के बीच विभाजित होती है।
- **संघीय प्रणाली की विशेषताएं:**
 - **सरकार के विभिन्न स्तर:** संघवाद, अपनी परिभाषा के अनुसार, अपने परिभाषित क्षेत्र के अंदर विभिन्न स्तरों की सरकार की कार्यपद्धति की आवश्यकता रखता है।
 - **शक्ति का विभाजन:** सत्ता को संस्थाओं के बीच विषयों के विभाजन द्वारा विभाजित किया जाता है ताकि संघर्ष की संभावना कम से कम हो जाए।
 - **लिखित संविधान:** यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता के संबंधित विभाजन में स्पष्टता हो। फिर से, एक कठोर संविधान यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता का यह विभाजन आसानी से बाधित न हो।
 - **स्वतंत्र न्यायपालिका:** यह सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच विवाद समाधान तंत्र के रूप में कार्य करती है।
- **राज्य और केंद्र सरकार की परस्पर निर्भरता:**
 - भारत ने जानबूझकर संघवाद का एक ऐसा संस्करण अपनाया, जिसने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को एक-दूसरे पर निर्भर बना दिया (बाद में पहले की तुलना में अधिक)।
 - इस प्रकार संघीय संविधान की मूल विशेषता का उल्लंघन किया गया, अर्थात् संघ और राज्य सरकारों के लिए अधिकार के स्वायत्त क्षेत्र।
- **संघवाद को एक साथ रखना:**
 - भारत का केंद्रीकृत संघीय ढांचा 'एक साथ आने' की प्रक्रिया से चिह्नित नहीं था, बल्कि 'एक साथ रखने' और 'एक साथ रखने' का परिणाम था।
- **अविनाशी एवं लचीलापन:**
 - बी.आर. अंबेडकर ने भारत के संघ को संघ कहा था क्योंकि यह अविनाशी था, यही कारण है कि संविधान में संघवाद से संबंधित शब्द नहीं हैं।
 - उन्होंने यह भी कहा कि भारत का संविधान आवश्यकता के आधार पर संघीय और एकात्मक होने के लिए अपेक्षित लचीलापन रखता है।

संघवाद के प्रकार

- **सहकारी संघवाद:**
 - यह संघीय ढांचे में संस्थाओं के बीच क्षैतिज संबंध को संदर्भित करता है।
 - सहकारी संघवाद देश के एकीकृत सामाजिक-आर्थिक विकास की खोज में दो संस्थाओं के बीच सहयोग को संदर्भित करता है।
- **प्रतिस्पर्धी संघवाद:**
 - इसका तात्पर्य राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है ताकि उन्हें आर्थिक विकास की दिशा में प्रेरित किया जा सके।

- पिछड़े राज्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे अग्रणी राज्यों से आगे निकलने के लिए अतिरिक्त प्रयास करें, जबकि अग्रणी राज्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे सूचकांक में अपनी रैंकिंग बनाए रखने के लिए कठोर मेहनत करें।
- **राजकोषीय संघवाद:**
 - यह संघीय सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच वित्तीय शक्तियों के विभाजन के साथ-साथ कार्यों से भी संबंधित है।
 - इसके दायरे में करों का अधिरोपण और केंद्र तथा घटक इकाइयों के बीच विभिन्न करों का विभाजन सम्मिलित है।
 - इसी तरह, करों के संयुक्त संग्रह के मामले में, संस्थाओं के बीच धन के निष्पक्ष विभाजन के लिए एक वस्तुनिष्ठ मानदंड निर्धारित किया जाता है।
 - सामान्यतः विभाजन में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक संवैधानिक प्राधिकरण (जैसे भारत में वित्त आयोग) होता है।

बढ़ते संघीय मतभेदों के बारे में

- **सार्वजनिक व्यय पर निर्भरता:**
 - 1991 से जारी आर्थिक सुधारों के कारण निवेश पर विभिन्न नियंत्रणों में ढील दी गई है, जिससे राज्यों को कुछ गुंजाइश मिली है।
 - लेकिन सार्वजनिक व्यय नीतियों के बारे में स्वायत्तता पूर्ण नहीं है क्योंकि राज्य सरकारें अपनी राजस्व प्राप्तियों के लिए केंद्र पर निर्भर हैं। केंद्र और राज्यों के बीच यह समीकरण हाल के दिनों में उनके बीच टकराव का कारण बना है, जिससे बातचीत के लिए बहुत कम गुंजाइश बची है।
- **अन्य:** संसाधन साझाकरण से जुड़े मुद्दों के अलावा, ऐसे अन्य क्षेत्र भी हैं जो संघर्ष के स्थल के रूप में उभरे हैं। इनमें सम्मिलित हैं:
 - सामाजिक क्षेत्र की नीतियों का समरूपीकरण,
 - नियामक संस्थाओं का कार्यपद्धति और
 - केंद्रीय एजेंसियों की शक्तियाँ।
- **केंद्र का बढ़ता प्रभाव:**
 - आदर्श रूप से इन क्षेत्रों में नीतियों का बड़ा भाग राज्यों के विवेक पर होना चाहिए, जिसमें एक शीर्ष केंद्रीय निकाय संसाधन आवंटन की प्रक्रिया की देखरेख करे।
 - हालांकि, शीर्ष निकायों ने प्रायः अपना प्रभाव बढ़ाने और राज्यों को उन दिशाओं में धकेलने का प्रयास किया है जो केंद्र के अनुकूल हों।

संघीय मतभेदों के आर्थिक परिणाम

- **निवेश की दुविधा:**
 - केंद्र की गतिविधियों के विस्तार से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि केंद्र निवेश के मामले में राज्यों को पीछे छोड़ना शुरू कर देता है।
 - हाल के वर्षों में बुनियादी ढांचे के विकास के एक मामले पर विचार करें।
 - केंद्र ने बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी परियोजनाओं की एकीकृत योजना और समन्वित कार्यान्वयन को प्राप्त करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों की योजनाओं को शामिल करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पीएम गति शक्ति का शुभारंभ किया।
 - सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्बाध कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप राज्य मास्टर प्लान तैयार और संचालित करना था।

- तथापि, राष्ट्रीय मास्टर प्लान की योजना और कार्यान्वयन के केंद्रीकरण के कारण राज्यों को अपना मास्टर प्लान तैयार करने में लचीलापन सीमित हो जाता है।
 - इससे राज्यों द्वारा कम निवेश किया जाता है।
- **संकेन्द्रित व्यय:**
 - केंद्र का व्यय तीन सबसे बड़े राज्यों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर अधिक केंद्रित हो गया है, जो 2021-22 तथा 2023-24 के बीच 16 राज्यों के व्यय का लगभग आधा भाग है।
 - 25 राज्यों के आंकड़ों से पता चलता है कि इन राज्यों द्वारा कुल ₹7.49 लाख करोड़ का बजट निर्धारित किया गया था, लेकिन उन्होंने केवल ₹5.71 लाख करोड़ खर्च किए, जो कुल का 76.2% है।
 - इन राज्यों द्वारा किया गया निवेश क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ने वाले प्रभाव के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे स्थानीय स्तर पर अधिक संपर्क स्थापित होते हैं, जबकि राष्ट्रीय अवसंरचना परियोजनाएं वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ अधिक संपर्क स्थापित करती हैं।
- **अल्प प्रतिस्पर्धा:**
 - केंद्र के साथ मतभेद की स्थिति में, राज्य सरकारें अन्य राज्यों और केंद्र के साथ प्रतिस्पर्धा में सम्मिलित होंगी। कल्याण प्रावधान एक ऐसा ही क्षेत्र है।
 - बढ़ी हुई राजकोषीय गुंजाइश के साथ केंद्र के पास अधिक खर्च करने की शक्ति है, जबकि राज्यों के राजस्व, विशेष रूप से गैर-कर राजस्व, स्थिर रहते हैं क्योंकि केंद्र द्वारा विभिन्न उपयोगिताओं और सेवाओं के प्रत्यक्ष प्रावधान के कारण गैर-कर बढ़ाने की संभावनाएँ एक छोटे क्षेत्र तक ही सीमित रहती हैं।
- **'समानांतर नीतियों' से जुड़ी अक्षमताएँ:**
 - संघीय विवादों के कारण या तो केंद्र या राज्य एक-दूसरे की नीतियों की नकल करते हैं।
 - समानांतर योजनाओं का उद्भव मुख्य रूप से संघीय प्रणाली में व्याप्त विश्वास की कमी के कारण होता है, जिसके राजकोषीय लागत का अर्थव्यवस्था पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है।

आगे की राह

- अपने विभिन्न कानूनों और नीतियों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, केंद्र राज्यों पर निर्भर करता है, विशेषकर समवर्ती क्षेत्रों में।
- राज्य भी केंद्र की सहमति से अपने कार्यकारी कार्यों को केंद्र सरकार या केंद्र की एजेंसियों को सौंपते हैं (अनुच्छेद 258A)।
- इस तरह की परस्पर निर्भरता अपरिहार्य है, विशेषकर एक बड़े, विविध, विकासशील समाज में और इसे बनाए रखने की आवश्यकता है।

दैनिक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न. संघ और राज्य सरकारों के बीच बढ़ते मतभेदों के संदर्भ में भारत के संघीय ढांचे में चुनौतियों की जांच करें। चर्चा करें कि ये तनाव राजकोषीय संघवाद, नीति कार्यान्वयन और आर्थिक विकास को कैसे प्रभावित करते हैं।

